HRCI an ISIUSI The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II-Section 3-Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

ਸ਼ਂ. 349] No. 349] नई दिल्ली, बुधवार, मई 24, 2000/ज्येष्ठ 3, 1922

NEW DELHI, WEDNESDAY, MAY 24, 2000/JYAISTHA 3, 1922

बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण

अधिसूचना

नई दिल्ली, 23 मई, 2000

बीमा विनियामक और विकास अधिकरण अधिनियम, 1999

का.आ. 490(अ).— बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम,1999 (1999 का अधिनियम 41) की धारा 25 की उप धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, प्राधिकरण एतद्दारा निम्निलिखित अधिसूचना बनाती है, अर्थात :-

बीमा सलाहकार समिति के सदस्यों के रूप में निम्निलिखित सदस्यों को दिनांक 01 जून,2000 से नियुक्त किया जाता है :-

- 1 श्री वी पस व्यास, जयपुर
- 2 श्रीमित पुष्पा गिरिमाजी, नई दिल्ली
- अी ए सी मुखर्जी, कलकता
- 4. श्री दी पस विश्वनाय, एफ सी ए नई दिल्ली
- 5 · डा · डी · एन · बरगोहन, डायरेक्टर, आई · आई · वे · , गुवाहावे
- 6 श्री सी प्न प्स शास्त्री, पुट्टापारधी, अन्ध्र प्रदेश
- 7. श्री एस.वी. मोनी, चेन्नई
- 8 चेयरमेन, जीवन बीमा निगम, मुम्बई
- 9 चेयरमेन, साधारण बीमा निगम, मुम्बई
- 10 डायरेक्टर, एन आई ए , पृणे
- 11 डायरेक्टर, आई आई एम , बैंगल्र
- 12 श्री एस पी सुबेदार, एक्यूरी, मुम्बई
- 13 श्री दीपक दत्ता, प्रेसीडेन्ट, बंगाल चेम्बर आफ कामर्स,कलकता
- 14 शीमांत इला भट्ट, एस र्ड रडब्ल्यू रेर, अहमदाबाद

- 16 श्री फली पोन्चा, मुम्बई
- 17 श्री सौोमल मेहता, मैसर्स मेहता पद्मसे एन्ड क , सर्वेयरस एन्ड लास एसेसर्स, मुम्बई
- 18 श्री ओ पी त्यागी, जनरल सैकरेटरी, नेशनल फेडरेशन आफ इंश्योरेन्स फील्ड वर्कर्स आफ इंडिया, लखनउ
- 19 श्री जौन एम कोशी, कोट्टायाम, केरल
- 20 श्री वरद्राजन, एडवोकेट, नई दिल्ली
- 21 डायरेक्टर, सैन्ट्ल इन्सटीटयूट् आफ रोड ट्रांसर्पीट, पुणे
- 22 वाइस चांसलर, एग्रीकलचुरल यूनीवर्सिटी, लुधियाना
- 23 श्री लियाकत खान, एक्चयुरी, लखनउ

[फा. सं. आई. आर. डी. ए./आई.ए.सी./1/2000] एन. रंगाचारी, अध्यक्ष

INSURANCE REGULATORY AND DEVELOPMENT AUTHORITY NOTIFICATION

New Delhi, the 23rd May, 2000

Insurance Regulatory and Development Authority Act, 1999

S.O. 490(E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Insurance Regulatory and Development Authority Act, 1999 (Act 41 of 1999), the Authority hereby makes the following Notification, namely -

The following members are appointed as Members of the Insurance Advisory Committee with effect from 1st June, 2000:

- 1. Mr. V.S. Vyas, Jaipur,
- 2. Mrs. Pushpa Girimaji, New Delhi
- 3. Mr. A.C. Mukherjee, Calcutta
- 4. Mr. T.S. Viswanath, FCA, New Delhi
- 5. Dr. D.N. Buragohain, Director, IIT Guhawati
- 6. Mr. C.N.S. Sastri, Puttaparthi(Andhra Pradesh)
- 7. Mr. S.V. Mony, Chennai
- 8. Chairman, LIC of India, Mumbai
- 9. Chairman, GIC of India, Mumbai
- 10. Director, NIA Pune
- 11. Director, IIM Bangalore
- 12. Mr. S.P. Subedar, Actuary, Mumbai
- 13. Mr. Dipak Dutta, President, Bengal Chamber of Commerce, Calcutta
- 14. Mrs. Ela Bhat, SEWA, Ahmedabad
- 15. Mr. T. Ramanan, Mumbai.
- 16. Mr. Fali Poncha, Mumbai.
- 17. Mr. Soumil Mehta, M/s Mehta Padamsay & Co. Surveyors & Loss Assessors, Mumbai
- 18. Mr. O.P. Tyagi, General Secretary, National Federation of Insurance Field

- 19. Mr. John M. Koshy, Kottayam
- 20. Mr. D. Varadarajan, Advocate, New Delhi
- 21. Director, Central Institute of Road Transport, Pune
- 22. Vice Chancellor, Agricultural University, Ludhiana.
- 23. Mr. Liaquat Khan, Actuary, Lucknow

[F. No. IRDA/IAC/1/2000] N. RANGACHARY, Chairperson